संख्या-52/2025/214/60-1-2025 (सी-1917487)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 18 नवम्बर, 2025**

विषयः- मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत 06 जनपदों-लखनऊ, झांसी, अयोध्या, मथुरा, फिरोजाबाद एवं बस्ती में प्रस्तावित गृहों के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-1555/निदे0म0क0/प्रोबे0/मु0बा0आ0यो0/ भवन निर्माण/2025-26, दिनांक 06.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत 06 जनपदों-लखनऊ, झांसी, अयोध्या, मथुरा, फिरोजाबाद एवं बस्ती में प्रस्तावित गृहों के भवन निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गए आगणन प्रस्ताव के सापेक्ष पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित/संस्तुत कुल धनराशि रू0 91.8073 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित अतिरिक्त धनराशि रू0 45.00 करोड़ में से उक्त 06 जनपदों में से प्रत्येक जनपद हेतु रूपये 05-05 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अनुदान संख्या-49 में व्यवस्थित लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-07-मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्थाओं/गृहों का भवन निर्माण के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-07-मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्थाओं/गृहों का भवन निर्माण के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित अतिरिक्त धनराशि रू0 45.00 करोड़ में से जनपद-लखनऊ, झांसी, अयोध्या, मथुरा, फिरोजाबाद एवं बस्ती में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रस्तावित गृहों के भवन निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं की मूल्यांकित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में निम्न तालिकानुसार वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	योजना का नाम/ लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	प्रस्तावित परियोजना	कार्यदायी संस्था का नाम	पी0एफ0ए0 डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत	निदेशालय द्वारा प्रस्तावित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1.	4235-02-103-07-मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्थाओं/ गृहों का भवन निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य	रू0 45.00 करोड़	जनपद-लखनऊ में 100 की क्षमता का राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), किशोर न्याय बोर्ड सहित भवन का निर्माण कार्य	सी0 एण्ड डी0 एस0	17.9325 करोड़	05 करोड़	05 करोड़
2.			जनपद-अयोध्या में 100 की क्षमता का राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), किशोर न्याय बोर्ड सहित भवन का निर्माण कार्य	यू0पी0पी0सी0 एल0	14.6294 करोड़	05 करोड़	05 करोड़
3.			जनपद-मथुरा में 100 की क्षमता का राजकीय प्लेस आफ सेफ्टी के भवन का निर्माण कार्य	यू0पी0पी0सी0 एल0	14.7968 करोड़	05 करोड़	05 करोड़
4.			जनपद-फिरोजाबाद में 100 की क्षमता का राजकीय बाल गृह (बालक) के भवन का निर्माण कार्य	यू0पी0पी0सी0 एल0	14.4557 करोड़	05 करोड़	05 करोड़
5.			जनपद-बस्ती में 100 की क्षमता का राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) के भवन का निर्माण कार्य	सी0 एण्ड डी0 एस0	14.0534 करोड़	05 करोड़	05 करोड़
6.			जनपद-झांसी में 100 की क्षमता का राजकीय बाल गृह (बालिका) के भवन का निर्माण कार्य	सी0 एण्ड डी0 एस0	15.9395 करोड़	05 करोड़	05 करोड़
			कुल योग		**91.8073 करोड़**	**30 करोड**	**30 करोड**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 एवं शासनादेश दिनांक 17.05.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, महिला कल्याण की होगी।

(4) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(8) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(13) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित राज्य सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(14) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(15) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण हेतु आंकलित लागत पर पैरा-94 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(16) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निर्विवादित भूमि की उपलब्धता एवं अन्य विभागों से क्लीरियन्स प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(17) प्रश्नगत प्रस्तावित गृहों के भवन निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित मानचित्रों एवं उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार कराये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा सीमेन्ट स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये।

(19) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(20) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(21) प्रयोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(22) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021 File No-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15-01-2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, महिला कल्याण/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(23) प्रायोजनान्तर्गत थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु सिविल कार्यों की लागत पर 0.5 प्रतिशत की दर से धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थान का चयन किया जाये। चयनित संस्था द्वारा न्यनूतम 5 बार स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त निदेशक, महिला कल्याण एवं कार्यदायी संस्था को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक, महिला कल्याण द्वारा क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयनित संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(24) जनपद-लखनऊ/बस्ती में प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 10.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। पी0एफ0ए0डी0 का मत है कि निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु यू०पी०पी०सी०एल० से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

(25) जनपद-झांसी में प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 15.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। पी0एफ0ए0डी0 का मत है कि निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु यू०पी०पी०सी०एल० से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

(26) जनपद-अयोध्या में प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 14.04 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। पी0एफ0ए0डी0 का मत है कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु यू०पी०पी०सी०एल० से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

(27) जनपद-मथुरा में प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 14.20 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। पी0एफ0ए0डी0 का मत है कि निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु यू०पी०पी०सी०एल० से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

(28) जनपद-फिरोजाबाद में प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 13.82 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। पी0एफ0ए0डी0 का मत है कि निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु यू०पी०पी०सी०एल० से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

(29) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(30) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(31) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(32) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, महिला कल्याण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(33) जनपद-झांसी के प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में 62978.25 घ०मी० अर्थ कटिंग का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मत दिया गया है कि निदेशक, महिला कल्याण द्वारा स्थानीय स्तर पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एक तकनीकी समिति का गठन किया जाये। इसी तकनीकी समिति की देख-रेख में उक्त कार्य सम्पादित किया जाये तथा उक्त मद में वास्तविक धनराशि देय होगी।

(34) जनपद-लखनऊ में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रायोजनान्तर्गत 53802.16 घ0मी0 मिट्टी भराई मद में रू0 297.72 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, परन्तु जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति न होने के कारण इस मद में फिलहाल एकमुश्त रू0 रू0 5.00 लाख की धनराशि मिट्टी भराई हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा धनराशि अनुमन्य की गयी है।

(35) जनपद-बस्ती में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रायोजनान्तर्गत मिट्टी भराई मद में रू0 19.81 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, परन्तु जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति न होने के कारण इस मद में फिलहाल एकमुश्त रू0 रू0 5.00 लाख की धनराशि मिट्टी भराई हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा धनराशि अनुमन्य की गयी है। अवशेष धनराशि जिलाधिकारी कमेटी की संस्तुति के आधार पर देय होगी।

(36) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यवर्णीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(37) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(38) प्रस्तुत कार्य योजना के संबंध में योजना की गाइडलाइन्स/मानक के अनुसार भूमि आदि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(39) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 ज्येष्ठ वास्तुविद, तृतीय इकाई, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-84एस0ए0-3/67 एस0ए0-3/2025, दिनांक 09.05.2025 तथा ज्येष्ठ वास्तुविद, प्रथम एवं तृतीय इकाई, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-171एस0ए0-1/65 एस0ए0-1/2025, दिनांक 04.08.2025 द्वारा मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रस्तावित भवनों के मानचित्रों का अनुमोदन कतिपय प्रतिबन्धों के साथ किया गया है। उक्त पत्रों में उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,00,00,000 (रुपये तीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 लेखा शीर्षक-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4235021030700 मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्थाओं/गृहों का भवन निर्माण मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-**27**-X-2025-26, दिनांक 27.10.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।